

BOOK No. 01/SL No. 15

Dated.....

17 SEP 2022



प्रपत्र-ख

शपथ-पत्र

मैं, प्रिंका शर्मा प्रिता/पति शिवशंकर शर्मा

उम्र 47 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद्/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 36

मोहल्ला शिवशंकर पंच (मैन जल्दी), पोस्ट रमना, थाना मिठपुरा, जिला मुजफ्फरपुर

बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र *नगर निगम/*नगर परिषद्/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 36 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद्/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के वार्ड 36 के *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - शालिनी शर्मा

प्रिंका शर्मा
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम- शालिनी शर्मा

पता- शिवशंकर पंच मिठपुरा, पोस्ट रमना
थाना मिठपुरा, जिला - मुजफ्फरपुर

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर रचना शर्मा

नाम- रचना शर्मा

पता- शिवशंकर पंच मिठपुरा, पोस्ट रमना थाना
मिठपुरा, जिला - मुजफ्फरपुर

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 17-9-2022

Contents of the Affidavit
solemnly affirmed and declared
before me through Deponent/Executant
declared by Advocate
17/09/2022 लगातार

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोदरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर/के समक्ष शपथ ली जाएगी।

PRASOON KUMAR
ADV. ZAFFARPUR (BIHAR)

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुजफ्फरपुर जिला के *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर

के वार्ड संख्या 36 से *पार्षद/*उप-मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- प्रियंका शर्मा

पति/पति का नाम- रवि शंकर शर्मा

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्धदण्ड से दंडित किये गये हैं-

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- नहीं

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- शून्य

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- शून्य

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति-
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित) शून्य

(iv) दिया गया दण्ड- शून्य

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- शून्य

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- शून्य

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? नहीं

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- शून्य

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- शून्य

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- शून्य

(iv) यदि निष्पादित है, तो शून्य

(क) निष्पादन की तिथि- शून्य

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- शून्य

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- शून्य

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- शून्य

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)
किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- नहीं

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- शून्य

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- शून्य

प्रियंका शर्मा

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:-

- अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- धारा- 171(E), 171(F), 420, 468, 471, 120(B)/34. भाषण क्र. 66(B) S.T. Act.
- न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- ए.सी.जे.एम. 09, पूर्वी, मुजफ्फरपुर द्वारा संज्ञान लिया गया है।
- अपराध संख्या - मिठनपुरा थाना डांड सं. 152/2017, J.R. NO - 2075/2017,
- आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- संज्ञान आदेश 26-8-2021.
- उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- नहीं

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कंडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- प्राथमिकी दर्ज है परन्तु संज्ञान अथवा होने की सूचना नहीं है।

- अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- U/S- 147, 148, 149, 186, 189, 188, 353, 332, 224, 225, 120(B), 504, 506, भाषण क्र.
- न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- अभी तक संज्ञान नहीं हुआ है।
- अपराध संख्या- मिठनपुरा थाना डांड सं. 153/2017, J.R. NO - 2076/2017 .
- आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- संज्ञान नहीं हुआ है।
- उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- नहीं

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- (उपरोक्त)

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

- कृषि भूमि :- शून्य (मेरा स्वतंत्र आज का भूत है) इसलिए मैं पति पर आश्रित नहीं हूँ। इसलिए पति के अचल सम्पत्ति का विवरण नहीं दी हूँ।
- शहरी भूमि - 73 प्लॉट आठडी० जिसका बाजार मूल्य करीब 1400000/-
नॉन-लाभ स्वयंमत्ता
- भवन - 38.625 डी० में 01/5 भाग भागि 7.725 डी० (दिसा) दिसाबुसार भूतिका बाजार मूल्य करीब - 12360000/-
स्वयंमत्ता पत्नी का संयुक्त प्लॉट स्वयंमत्ता का हिस्सा
12.4400000/- नॉन-लाभ

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमत:-

(i) नकद 80,000/- अस्सी हजार

(ii) बैंक बैलेन्स- 75564/2 पचहत्तर हजार पाँच सौ
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट 93101+83906/2
कुल 177007/2 सत्तर हजार
(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बॉण्ड, शेयर- L.T.C में वीमीए राष्ट्रीय 2750000/2
(परिपक्व होने पर) संलग्न करा
(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन प्रैजनास से शून्य
(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन
पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आभूषणों का विवरण
(पूर्ण विवरण दें) स्वर्ण आभूषण 210 ग्राम मुल्य
वर्तमान - करीब -1050000/2 साढ़े एस लाख
- सोने का आभूषण 50 ग्राम मुल्य वर्तमान
करीब 6000/2 छह हजार स्वर्ण 25

6. ** (क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/
वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ
(प्रमाण-पत्रों के साथ)

शून्य

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति शून्य

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज
के नाम के साथ अंकित करें-

स्नातक संजय गांधी स्मारक महीला महाविद्यालय
शेखपुरा मुजैर

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- मुजफ्फरपुर

तिथि- 21-09-2022

प्रियंका शर्मा
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वैलथ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सचना छिपाने